भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4142
जिसका उत्तर शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है

## आतंकवादी घटनाओं में शीघ्र सुनवाई

**4142. श्री अनिल यशवंत देसाई :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आतंकवादी घटनाओं के लिए कोई विशेष त्वरित विचारण और निर्णय परिदान तंत्र उपलब्ध है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) 2014 से आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित कितने मामले लंबित हैं ;

(ग) विभिन्न न्यायालयों द्वारा न्यायालयों में अपराध साबित करने में अभियोजन पक्ष की विफलता के कारण कितने आतंकवादियों को रिहा किया गया है ; और

(घ) सरकार द्वारा पुलिस अधिकारियों की आतंकवादियों द्वारा किए गए अपराध को साबित करने के लिए ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करने की क्षमता बढ़ाने हेतु प्रशिक्षित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);**
**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

**(क) :** केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार को त्वरित विचारण के प्रयोजन के लिए क्रमशः राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) अधिनियम की धारा 11 और धारा 22 के अधीन विशेष न्यायालयों को नामनिर्दिष्ट करने की शक्ति प्राप्त है । इसके अतिरिक्त, एनआईए अधिनियम की धारा 19 के अधीन विशेष न्यायालय द्वारा किसी भी अपराध का विचारण दिन-प्रतिदिन के आधार पर किया जाएगा और किसी अन्य न्यायालय में अभियुक्त के विरूद्ध किसी अन्य मामले के विचारण पर अग्रता होगी।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने संपूर्ण देश में 51 एनआईए विशेष न्यायालयों को नामनिर्दिष्ट किया है, जिनमें से रांची और जम्मू स्थित 02 एनआईए विशेष न्यायालयों को एनआईए अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, विशेष रूप से एनआईए द्वारा अन्वेषित किए गए अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए और देश में आतंकवादी घटनाओं के लिए त्वरित विचारण और निर्णय परिदान तंत्र के लिए विशेष न्यायालयों के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया है।

**(ख) :** 2014 से 2024 तक (05.12.2024 तक), एनआईए ने 456 मामले रजिस्ट्रीकृत किए हैं जिनमें 3059 अभियुक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और 3087 अभियुक्तों के विरूद्ध आरोपपत्र जारी किया गया है ।

इस अवधि के दौरान 103 मामलों में निर्णय सुनाए गए हैं, जिसमें 460 अभियुक्त व्यक्तियों को विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम [यूएपीए] के अधीन दोषसिद्ध ठहराया गया है और 269 मामले विचारणाधीन है।

**(ग) :** 2014 से 2024 (05.12.2024 तक) तक, 103 मामलों में निर्णय सुनाए गए हैं, जिसमें 460 अभियुक्त व्यक्तियों को यूएपीए के अधीन दोषसिद्ध ठहराया गया है और 65 अभियुक्त व्यक्तियों को दोषमुक्त कर दिया गया है।

**(घ) :** प्रभावी अन्वेषण और अभियोजन के लिए एनआईए अधिकारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम/पुनश्चर्या पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। एनआईए ने इस संबंध में एनआईए अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (एसवीपीएनपीए) और राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू) के साथ सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। एनआईए अधिकारियों को एसवीपीएनपीए, हैदराबाद और केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थानों (सीडीटीआई) आदि जैसे अन्य संगठनों में पाठ्यक्रमों में उपस्थित होने के लिए भी नामनिर्दिष्ट किया जा रहा है।

2019 से, एनआईए ने 108 आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं जिनमें 4471 अधिकारियों ने भाग लिया था, अन्य संगठनों के सहयोग से 50 प्रशिक्षण कार्यक्रम जिनमें 2006 अधिकारियों ने भाग लिया था, राज्य पुलिस बलों के लिए 36 क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम (सीबीटीपी) जिसमें 4172 अधिकारियों ने भाग लिया था और 19 सीबीटीपी एनआईए अधिकारियों के लिए विदेशी अभिकरणों के सहयोग से आयोजित किए थे जिसमें 597 अधिकारियों ने भाग लिया था।

**********